न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-02, भरतपुर
सिविल अपील संख्या 02/2023 (CIS नंबर 06/2023)
मदनलाल बनाम गोरधन वगैरह
दि. 23-03-2026

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-03-2026	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बंशीलाल उपस्थित । प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह उपस्थित । इस आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ओर से दिनांक 07.02.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है । उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया था । प्रार्थी अपने खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त करवाना चाहता है । अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपील के स्तर पर मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में मुख्य विवाद सर्वे नंबर का है । वादी को अपना वाद अपनी साक्ष्य से साबित करना होता है । विचारण के दौरान तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पेश की जा चुकी है । प्रकरण को देरीना करने के आशय से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जो खारिज किया जाये । उभय पक्षों की बहस पर मनन किया । पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के जरिए प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है । लेकिन मौका कमिश्नर किस उद्देश्य के लिए अथवा किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियुक्त किया जाना है, इस बाबत प्रार्थनापत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किए गए है । इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान द्वारा साक्ष्य पेश की गई है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है । अपील के स्तर पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना किन परिस्थितियों व किन कारणों से आवश्यक है, इस बाबत प्रार्थनापत्र में कोई आधार अंकित नहीं किए जाने से प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निराधार होना प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से दिनांक 07.02.2025 को

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-2, भरतपुर

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-02, भरतपुर
सिविल अपील संख्या 02/2023 (CIS नंबर 06/2023)
मदनलाल बनाम गोरधन वगैरह
दि. 23-03-2026

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

आदेश सुनाया गया ।

पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दि. 24.03.2026 को पेश हो।

(सीताराम मीना)
अपर जिला न्यायाधीश